संख्या-12 /2015/590 /33-3-2015-100(20)/2014

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2015

विषय:- निर्मल भारत अभियान नया नाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 में भारत सरकार अवमुक्त केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि क्रमश: रू0 67.92 लाख के सापेक्ष राज्यांश मद में रू0 5.66 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 11/2015/331/33-3-2015-100(20)/2014, दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 81 में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 509.52 लाख के सापेक्ष रू0 5.66 लाख (रू0 पाँच लाख छियासठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके प्रस्तर-9 में धनराशि एवं लेखाशीर्षक त्रूटिपूर्ण अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2015 के प्रस्तर- 9 को संशोधित करते हुए निम्नवत अंकित जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(9) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 81 के अन्तर्गत धनराशि रू0 5.66 लाख लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - 0201- स्वच्छ शौचालय निर्माण (जिला योजना) (के075/रा.25/के-रा.)-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त शासनादेश 24 फरवरी, 2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगी। क़पया उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in